शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-1/2017/13/5/1998टी0सी0-का-1-2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2017

विषय :-सरकारी सेवकों द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सरकारी सेवकों द्वारा प्रथम नियुक्ति तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष पर चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम-24 में व्यवस्था है।

2. शासन द्वारा सभी सरकारी सेवकों से दिनांक 15.03.2017 की स्थिति के अनुसार उनकी चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण तत्काल प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम-24 एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप संख्या-I संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग की उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/विवरण दिनांक 03.04.2017 तक अपने स्तर पर प्राप्त कर लें तथा कृत कार्यवाही की समेकित सूचना प्रारूप संख्या-II पर दिनांक 06.04.2017 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूच्य है कि प्रश्नगत कार्यवाही राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। अतः इस पर व्यक्तिगत रूचि अपेक्षित है। किसी भी शिथिलता को प्रतिकूल तथ्य के रूप में देखा जायेगा।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

---

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

THE GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES, 1956

24. *Movable, immovable and valuable property*— (1) No government servant shall except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that any such transaction conducted otherwise than through a regular and reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

A, a government servant, proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer *A*, must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable if *A* proposes to sell his house.

*(2) A government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees one thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority :

Provided that no government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

*Amended, *vide* notification no. 9/6/74-Karmik-1, dated July 27, 1976.

Illustration

(i) *A*, a government servant whose monthly pay is rupees six hundred purchases a tape-recorder for rupees seven hundred, or

(ii) *B*, a government servant whose monthly pay is rupees two thousand sells a car for rupees one thousand five hundred.

In either case *A* or *B* must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer he must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

(3) At the time of first appointment and thereafter at intervals of five years, every government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or in any way dependent upon him. Such declaration should state the full particulars of the property, shares and other investment.

(4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a government servant to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the appropriate authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(5) The appropriate authority—

(*a*) in the case of a government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the Head of the Department;

(*b*) in the case of other government servants, for the purposes of sub-rules (1) to (4) shall be the Head of the Department.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 1998

5. In the said rules, in rule 24 *for* existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely -- Amendment of rule 24

Column-1 *Existing rules*	Column-2 *Sub-rules as hereby substituted*
(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees one thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:	(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:
Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority	Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.
Illustration (i) A, a Government servant whose monthly pay is rupees six hundred, purchases a taperecorder for rupees seven hundred, or (ii) B, a Government servant whose monthly pay is rupees two thousand sells a car for rupees one thousand five hundred. In either case A, or B, must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer he must also obtain the previons sanction of the appropriate authority.	

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 35 सा० नियुक्ति -1998 -(1466)- 8000 - कम्प्यूटर /आफसेट।

प्रारूप - I

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात् मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूंगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर ....

पदनाम..

दिनांक..

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति हैं :–

भू-सम्पत्ति

भूमि जो [illegible] में है			क्षेत्रफल एकड़ों में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
जिला	तहसील	गांव					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह-सम्पत्ति

क्रम-संख्या	गृह में स्थित		गृह की सं०	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन के लिये काम में आता है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
	ग्राम, कस्बा या नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करूंगा तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

दिनांक..

अवधेय-अचल सम्पत्ति में बन्धक (Mortgage) या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्तियां भी सम्मिलित हैं।

किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो, या साथ में रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, रखी गई या उसकी ओर से प्रबन्ध की जाने वाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गई तथा उसके द्वारा प्रबन्ध की गई समझी जायगी।

(ग)

[उन लोगों के लिये, जिनके कोई अंश (shares) या विनिधान (Investment) नहीं है :]

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान का स्वामी नहीं हूं। इसके पश्चात् यदि मैं कोई अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान (Investment) करता हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिये पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर..

पदनाम..

दिनांक..

(घ)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे निम्नलिखित अंश और विनिधान है :

अंश (shares)

क्रम-संख्या	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान (Investments)

क्रम-संख्या	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान करता हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिये पंचवर्षीय घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर..

पदनाम..

दिनांक..

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1 सा०नियुक्ति—6-6-2005—(391)—1,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

प्रारूप संख्या–II

समूह का नाम	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की संख्या	अवशेष अधिकारियों की संख्या	अभ्युक्ति
समूह–क				
समूह–ख				

नोटः– समूह–ग एवं समूह–घ के कर्मचारियों का उपरोक्तानुसार विवरण प्रशासकीय विभाग अपने पास सुरक्षित रखेगें।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव के हस्ताक्षर..............................